

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र(यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)

कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत-रामगढ़, सोनहत-मोहरसोप, पथरगवां-कटगोड़ी, महेशपुर- लोटाबहरा, रोझी-शिवपुर, नेरुवा-भरतपुर, चरचा- सोनहत, बरबसपुर- शिवपुर, चोटिया- बहेराबंध, नागपुर- चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़- मरवाही मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 141.080 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.707 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.400 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.202 हेक्टेयर कुल 3.309 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 26.02.2019 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व. स.अ.) रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-718/724 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार (पत्र की छायाप्रति संलग्न) प्रथम चरण स्वीकृति पश्चात् वन अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत है।



(अमर कुमार सिंह)

असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)